T.S- 36/2019

दिनांक–13.01.2021

वादी की ओर से वकालतन हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–03.02.2020 अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 के तहत संशोधन आवेदन पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के दिनांक–03.02.2020 के आवेदन से प्रतित होता है कि विवादित भूमि के संदर्भ में वादी अपने वाद–पत्र मे कुछ तथ्य को पैरा न. 5 के बाद 5A तथा पैरा न. 3 मे जोड़ना चाहता है। वादी के उक्त आवेदन मे संदर्भित तथ्य को वाद–पत्र मे अंकित करने से वाद की प्रकृति मे कोई परिवर्तन नही होगा तथा उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। वाद वर्तमान मे प्रारंभिक स्थिति मे है। अतः न्यायहित मे वादी के दिनांक–03.02.2020 के संशोधन आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि समयसीमा के अंदर वाद–पत्र मे संशोधन करें।

दिनांक 06.02.2021 वास्ते उपस्थिति।

13/01/2021

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)

Scanned by CamScanner